

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्स्टखाबाद।

संख्या ६००७ /आ०ले०-जि०अ०-२०१४
नगर मजिस्ट्रेट /समस्त उप जिलाधिकारी
जनपद फर्स्टखाबाद।

दिनांक १४ जून

2014

तहसील दिवस में अधिकांश शिकायतें आती हैं कि घर के सामने या रास्ते पर कूड़ा डालकर नाली बन्द करने से पानी का बहाव अवरुद्ध कर दिया गया है। कृपया ऐसे मामलों में सर्वप्रथम सम्बन्धित गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी या नगर में अधिशाषी अधिकारी से आख्या ले ली जाय और उनको किये गये व्यवधान को हटाने के लिए निर्देशित किया जाये। यदि उनके द्वारा व्यवधान नहीं हटवाया जाता है तो विपक्षी के विरुद्ध धारा 133 द०प्र०सं० के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तीन दिन का समय दिया जाये और तीन दिन में अनुपालन न करने पर पुलिस के द्वारा व्यवधान हटवाया जाय।

अतः अपेक्षित है कि उपरोक्तानुसार अभियान चलाया जाये जिससे सभी को राहत मिल सके और गांव व नगर का वातावरण स्वच्छ रह सके।

(एन०के०एस०चौहान)
जिलाधिकारी
फर्स्टखाबाद।

प्रतिलिपि:-

1— मुख्य विकास अधिकारी फर्स्टखाबाद को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराते हुए अनुपालन करायें।

(एन०के०एस०चौहान)
जिलाधिकारी
फर्स्टखाबाद।